कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III एवं पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–II/III का स्थानान्तरण/समायोजन कॉलम संख्या 8 नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :–

S. No.	Name	Post	Employee ID	Present Posting Place			New Posting Place		
				Name of School	District	Range	Name of School	District	Range
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BALRAM SINGH	Lab Assistant (III Gr.)	RJBP2020070 26003	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KAITHWARA (217051)	BHARATPUR	BHARATPU R	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAOTA (212931)	DAUSA	JAIPUR
2	ANAND KANWAR	LIBRARIAN (III Gr.)	RJBW202108 015611	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAGERA (214420), HURDA	BHILWARA	AJMER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARIHARA (215557), RATANGARH	CHURU	CHURU

उक्त स्थानान्तरण आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तो के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावें :–

1. उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीवीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
2. स्थानान्तरित प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III एवं पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III एवं पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III के रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण कराया जावे। अन्य पद के विरूद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
3. राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
4. TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
5. यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यकता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैन्सर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण)/परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवानिवृति में 1 वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें, परन्तु उक्त शर्त स्थानीय स्थानान्तरण/समायोजन में लागू नहीं होगी।
6. स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की स्थिति में नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं है।
7. प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III एवं पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III को जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय स्वैच्छा से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन की सहमति का शपथ–पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र–6 जारी कर) की कार्यवाही की जावें।
8. नवीन स्थानान्तरित जिले में स्थानान्तरित प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III एवं पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक का जिला परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के नियम–36 के परन्तुक 07 में अंकितानुसार नवीन जिले में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये जिले में कनिष्ठतम प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III एवं पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
9. राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम–144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नही नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
10. स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
11. उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1ए/स्थानान्तरण/वोल–2/2022 दिनांकः–12-01-23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
6. स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग कार्यालय/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिंक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें।
10. संबंधित कार्मिक ....।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Created By: Sign Doc